रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 1971/ज्येष्ठ 6, 1893

No. 96] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 1971/JYAISTHA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 मई 1971

जी० एस० आर० 808 :—1 अप्रैल 1971 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3 उप-खंड (I) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग के 31 मार्च 1971 के शुद्धि पत्र में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

पृष्ठ 371 पर

"पृष्ठ 844 पर" के अन्तर्गत पैरा (i) की पहली पंक्ति के अन्तिम शब्द "पूंजी" के स्थान पर "पूजी" पढ़िए तथा इसी पैरे की दूसरी पंक्ति में "पूजी" के स्थान पर "पूंजी" पढ़िए।

पृष्ठ 845 पर (i) (iii) के अन्तर्गत पहली पंक्ति में "बैंक" शब्द के स्थान पर "बैंक" शब्द पढ़िए और इसी पंक्ति के अन्तिम शब्द को "बैंक" के स्थान पर "बैंक" पढ़िए।

[सं० 157/फा सं०/127/68-टी०पी०एल०]

आर० एन० मुट्टू, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971